अनुसूची14—फारम सं0 563

आदेश की क्रम—संख्या आर तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
21/02/ 2013	न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल । वाद सं0- 646/ 12 08/ 13 , धारा-147 द0प्र0सं0 भगु साव ---------- प्रथम पक्ष बनाम विणेन्द्र साव,वगैरह---------- द्वितीय पक्ष । आ दे श प्रथम पक्ष को सुना । स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन-पत्र के आधार पर खाता सं0- 86, प्लॉट सं0- 915/ 1888 रकबा- 3 डी0 भूमि पर अवस्थित प्रथम पक्ष के नाली को द्वितीय पक्ष द्वारा अवरूद्ध करने के कारण वाद की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है । द्वितीय पक्ष के लगातार अनुपस्थित रहने के कारण वाद की कार्यवाही एकपक्षीय कर सुनवाई की गई है । अंचल अमीन से स्थल की जाँच कराई गई । अंचल अमीन ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि प्रश्नगत भूमि प्रथम-पक्ष	

अनुसूची14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3

-2-

की रैयती भूमि है जिस पर प्रथम पक्ष का मकान अवस्थित है। मकान के सटे उत्तर प्रश्नगत प्लॉट में हीं प्रथम-पक्ष का नाली अवस्थित है जिससे होकर आम गली प्लॉट सं0- 890 में नाली गिरता था जैसा कि प्रथम पक्ष का कहना है ।

द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष की भूमि के अंश रकबा को अपना बता कर नाली को अवरूद्ध कर दिये हैं । चूंकि प्रश्नगत नाली की भूमि प्रथम-पक्ष का हीं है, ऐसी परिस्थिति में स्थानीय थाना को आदेश दी जाती है कि अगर नाली बन्द है तो खुलवा दें ।

आदेश से विद्व अधिवक्ता को अवगत करावें। आदेश की प्रति सम्बंधित थाना को भेजें ।

लेखापित एवं संशोधित

21/2/13 21/2/13

कार्य0 दण्डाधिकारी, अरवल । कार्यपालक दण्डाधिकारी, अरवल ।

Seen order on behalf of 1st party.
[signature] 23.2.2013

528
11.5.13